Anticipatory Bail Application/557/2026 –Suhail Vs. State of U.P.

UPCD010005842026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली
उपस्थितः दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी (एच.जे.एस.)
J.O.Code.U.P.5730

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 97/2026

सुहैल पुत्र सरफराज निवासी 435 पूर्वा अहमदनगर जलीकोठी थाना देहली गेट मेरठ कैंट जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। — — — अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य — — — विपक्षी

अपराध संख्या – 510/2025
धारा–60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 109(1) बी.एन.एस. थाना– मुगलसराय, जनपद–चन्दौली

11–03–2026

अभियुक्त सुहैल उपरोक्त की ओर से थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 510/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त सुहैल उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त व उसके शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत याचिका माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन या निस्तारित नहीं है।

अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13–10–2025 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अजय कुमार चौकी प्रभारी रेलवे कालोनी मय हमराह हेड कां. अतुल सिंह व उपनिरीक्षक मनोज तिवारी चौकी प्रभारी कूड़ा बाजार मय हमराह हेड कां. भूपेश कुमार व उपनिरीक्षक अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी जलीलपुर मय हमराह हेड कां. गौरव सिंह के देखभाल क्षेत्र भ्रमण व सायं चेकिंग दबिश वांछित अभियुक्त व अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु मिल्कीपुर में हाइवे के पास मौजूद थे कि उपनिरीक्षक संजय सिंह चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर उपस्थित आकर मिले। वे लोग आपस में जुर्म जरायम की रोकथाम हेतु वार्ता कर रहे थे कि बिहार मद्य निषेध इकाई पटना से सूचना मिली कि पंजाब से अवैध शराब लेकर हाइवे से मिनी ट्रक आ रही है जो टेंगरा मोड़ से मिर्जापुर की तरफ से होते हुए बिहार जायेगी। उस ट्रक के बेसमेंट में छिपाकर अंग्रेजी शराब लेकर आ रही है। इस सूचना से हमराही पुलिस बल को अवगत कराते हुए पुलिस बल द्वारा टेंगरा मोड़ से मिर्जापुर जाने वाले मार्ग पर आने वाली गाड़ियों को चेक कर एक–एक करके छोड़ा जाने लगा कि कुछ ही देर में टेंगरा मोड़ की तरफ से एक ट्रक आते हुए दिखाई दी। पुलिस वालों ने उस ट्रक को रोकने का इशारा करते हुए उस ट्रक की तरफ बढ़े तो पुलिस वालों को अपनी तरफ आता देखकर ट्रक चालक ने जान से मारने की नियत से ट्रक की स्पीड बढ़ाकर पुलिस वालों की तरफ गाड़ी बढ़ा दिया जिससे वहां आने–जाने वालों मे भय का माहौल उत्पन्न हो गया। पुलिस वाले अपने–आप

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.03.12 16:50:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को बचते–बचाते हुए किसी प्रकार मौके पर आने–जाने वाले ट्रेलर व डम्फर की मदद से उक्त ट्रक को रोक लिया गया। ट्रक के रूकते ही चालक तथा बगल सीट पर बैठा व्यक्ति अपने–अपने तरफ का दरवाजा खोलकर भागने का प्रयास किये कि हिकमत अमली से पुलिस बल द्वारा उन व्यक्तियों को घेर–घार कर पकड़ लिया गया। नाम–पता पूछने पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सतपाल सिंह पुत्र जसवन्त सिंह निवासी भंवर कुआं थाना भंवर कुआं जनपद इन्दौर राज्य मध्य प्रदेश बताया तथा चालक के बगल सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गुलजार खां पुत्र बरकत अली निवासी ग्राम मल्लूपुर थाना बादशाहपुर जनपद जौनपुर बताया। भागने के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि उनकी गाड़ी में अवैध शराब लदी है जिसे वे लोग बिहार ले जा रहे थे लेकिन आपलोगों के रोकने पर उन दोनो ने स्वयं व अपनी शराब को पकड़े जाने से बचाने के लिये आप लोगों पर चढ़ाने के इरादे से स्पीड बढ़ा दिये थे। आप लोगों पर ट्रक चढ़ाकर निकलने वाले थे लेकिन जगंह न होने के कारण गाड़ी रोककर भागने लगे थे। यह भी बताया कि वे लोग पंजाब, हरियाणा से शराब लेकर जाकर बिहार में उंचे दाम पर बेचते हैं। शराब बन्दी के कारण वहां शराब की अच्छी कीमत मिल जाती है। पकड़े गये ट्रक का निरीक्षण किया गया तो गाड़ी के नम्बर प्लेट पर यू.पी. 53 जी.टी.2368 अंकित पाया गया। ट्रक के पीछे देखा गया तो बेसमेंट में लोहे के टीन शेड से नट बोल्ट में कसा हुआ पेटी में अवैध शराब रखी हुई पाई गई जिन्हें बाहर निकालकर गिनती की गई तो 23 पेटी इम्पीरियल ब्लू प्रत्येक बोतल मात्रा 750 एमएल, 77 पेटी इम्पीरियल ब्लू प्रत्येक बोतल मात्रा 375 एमएल कुल मात्रा 900 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। प्रत्येक बोतल में फार सेल इन यू.टी. चण्डीगढ़ ओनली अंकित पाया गया। गाड़ी के नम्बर प्लेट पर लगे नम्बर यू.पी. 53 जी.टी.2368 को जरिये ई चालान ऐप चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम महेन्द्र गुप्ता पुत्र रामप्रीत गुप्ता वर्तमान पता सुभाष नगर कालोनी जिला गोरखपुर स्थाई पता ग्राम पचफेडा पोस्ट खन्नू छपरा थाना नेबुआ नवरंगिया जनपद कुशीनगर अंकित पाया गया।

अभियुक्त सुहैल उपरोक्त का अपने प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहना है कि वह वाहन संख्या यू.पी. 15 जी.टी. 2466 का वाहन स्वामी है जो चोला मण्डलम फाइनेन्स कम्पनी मेरठ से फाइनेन्स पर लिया है जिसमें उसने जनवरी 2025 तक कुल 22 किश्तें जमा कर दी थीं। उक्त वाहन का संचालन कर पाने में असमर्थ होने पर उसने उक्त वाहन को दिनांक 28–02–2025 को हरप्रित सिंह पुत्र जगदेव सिंह निवासी समयपुर वल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद हरियाणा जिसका आधार संख्या 750288375062 है, विक्रय कर दिया और फाइनेन्स की सम्पूर्ण रकम यानी 36 किश्तों की अदायगी के पश्चात् वाहन ट्रान्सफर कराना तथा इस बीच कोई अनहोनी, चालान, एक्सीडेंट या अपराध होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता हरप्रित सिंह का होना तय हुआ। उसे मात्र वाहन स्वामी होने के कारण नामित किया गया है। उसे उपर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा बाद जमानत उसके पलायन की संभावना नहीं है। अतः उसे अग्रिम जमानत दी जाय।

अभियुक्त सुहैल के उक्त प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त वाहन स्वामी है जो बिहार, जहां शराब बिक्री प्रतिबन्धित है, अवैध शराब बिक्री

हेतु ले जाने की उक्त आपराधिक घटना में संलिप्त रहा है। अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

मैने अभियुक्त उपरोक्त के इस प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुना तथा सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 20–02–2026 व अवर न्यायालय से तलबशुदा आपराधिक वाद संख्या 107/2026 सरकार बनाम सतपाल सिंह आदि की पत्रावली का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

थाने की आख्या दिनांकित 20–02–2026 में अभियुक्त सुहैल के किसी आपराधिक इतिहास का कोई अंकन नहीं है। प्रश्नगत शराब की बरामदगी का कोई जन साक्षी नहीं है। प्रश्नगत घटना में वादी व उसके हमराही सिपाहियान को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। सह अभियुक्त सतपाल सिंह का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 12–11–2025 को व सह अभियुक्त गुलजार खॉ का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 01–12–2025 को इस न्यायालय से स्वीकार हो चुका है। प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त सुहेल प्रश्नगत ट्रक पर मौजूद नहीं था और उसे प्रश्नगत वाहन का स्वामी होना बताया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना अभियुक्त सुहैल उपरोक्त के अग्रिम जमानत के पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त सुहैल की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त सुहैल उपरोक्त को थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 510/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत मु0 पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू अग्रिम जमानत के तौर पर नियत की जाती है बशर्ते वह दौरान विवेचना विवेचक को विवेचना में पूरा सहयोग प्रदान करेगा और विवेचक अथवा पुलिस द्वारा तलब किये जाने पर उनके समक्ष सहयोग हेतु उपस्थित होता रहेगा।

दिनांकः–11–03–2026.

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

स्टेनो– संजीत सिंह।